"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 473] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2018 — अग्रहायण 16, शक 1940

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 4 दिसम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-29/31/स्था./2007. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-2014 में निम्नलिखित संशोधन करते है :-

संशोधन

(1) अनुसूची-दो में, शीर्षक "(एक) कर्तव्य पद (सिविल शाखा)" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (1)(ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम 6 (1)(ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	सहायक अभियंता (द्वितीय श्रेणी)	404	27% प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर	73% प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर		कालम-5 में दर्शित 73% पद प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर निम्नानुसार भरे जायेंगे :- (1) उपअभियंता संवर्ग-70%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03%

(2) अनुसूची-दो में, शीर्षक "(दो) कर्तव्य पद (वि./यां. शाखा)" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

3.	सहायक अभियंता (द्वितीय श्रेणी)	53	27% प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर	73% प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर		कालम-5 में वर्णित 73% पद प्रत्येक वर्ष के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर निम्नानुसार भरे जायेंगे :- (1) उपअभियंता संवर्ग-70% (2) मानचित्रकार/ मुख्य मानचित्रकार संवर्ग-03%

(3) अनुसूची-चार में, शीर्षक "(एक) कर्तव्य पद (सिविल शाखा)" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए अर्ह होने हेतु अपेक्षित न्यूनतम अवधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	उप अभियंता (सिविल)	10 वर्ष	सहायक अभियंता (सिविल)	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य-अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ. ग. शासन, जल संसाधन विभाग-सदस्य 3. विभाग प्रमुख-सदस्य 4. उप सचिव/संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, जल संसाधन विभाग-सदस्य/सचिव	

(4) अनुसूची-चार में, शीर्षक "(एक) कर्तव्य पद (सिविल शाखा)" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाये.

(5) अनुसूची-चार में, शीर्षक "(दो) कर्तव्य पद (वि./यां. शाखा)" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नालिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	उप अभियंता (वि./या.)	10 वर्ष	सहायक अभियंता (वि./या.)	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य-अध्यक्ष	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ. ग. शासन, जल संसाधन विभाग-सदस्य 3. विभाग प्रमुख-सदस्य 4. उप सचिव/संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, जल संसाधन विभाग-सदस्य/सचिव	

(6) अनुसूची-चार में, शीर्षक "(दो) कर्तव्य पद (वि./यां. शाखा)" के अंतर्गत, सरल क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 4th December 2018

NOTIFICATION

No. F 01-29/31/Estb/2007. — In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh, Water Resource Engineering and Geological (Gazetted) Recruitment Rules, 2014, namely :-

AMENDMENTS

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-II, under Heading "(I) Duty Post (Civil Branch)", For serial number 6 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

S. No.	Name of Service	Number of Duty Post	Percentage of number for the posts to be filled in			Remarks
			By Direct Recruitment [See Rule 6 (1)(a)]	By Promotion Recruitment [See Rule 6 (1)(b)]	By Transfer of Person from other services [See Rule 6 (1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(I) Duty Post (Civil Branch)						
6.	Assistant Engineer (Class-II)	404	27% on the basis of availability of vacant post every year	73% on the basis of availability of vacant post every year		73% post shall be filled as below on the basis of availability of vacant post every year, which has shown in column No. 5 :- (1) Sub-Engineer Cadre-70% (2) Drafts man/Head Drafts man cadre-03%

2. In Schedule-II, under Heading "(II) Duty Post (E/M Branch)", For serial number 3 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(II) Duty Post (E/M Branch)						
3.	Assistant Engineer (Class-II)	53	27% on the basis of availability of vacant post every year	73% on the basis of availability of vacant post every year		73% post shall be filled as below on the basis of availability of vacant post every year, which has shown in column No. 5 :- (1) Sub-Engineer Cadre-70% (2) Drafts man/Head Drafts man cadre-03%

3. In Schedule-IV, under Heading "(I) Duty Post (Civil Branch)", For serial number 6 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(2) Schedule-IV (See Rule 14)

S. No.	Name of Service or Post from which Promotion to be made	Minimum Period require to qualifying for promotion to the next Higher Post	Name of Service or Post to which Promotion is to be made	Departmental Promoting Committee	Remaks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(I) Duty Post (Civil Branch)					
6.	Sub Engineer (Civil)	10 years	Assistant Engineer (Civil)	1. Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary Government of Chhattisgarh - Member 3. Head of Department-Member 4. Deputy Secretary/Joint Secretary, Government of Chhattisgarh -Member/Secretary	

4. In Schedule-IV, under Heading "(I) Duty Post (Civil Branch)", the serial number 7 and entries relating thereto shall be omitted.

5. In Schedule-IV, Under Heading "(II) Duty Post (E/M Branch)", for serial number 3 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Sub Engineer (E/M)	10 years	Assistant Engineer (E/M)	1. Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Government of Chhattisgarh - Member 3. Head of Department-Member 4. Deputy Secretary/Joint Secretary, Government of Chhattisgarh -Member/Secretary	

6. In Schedule-IV, under Heading "(I) Duty Post (E/M Branch)", the serial number 4 and entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB XESS, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.